इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 546] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 दिसम्बर 2012—पौष 7, शक 1934

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2012

एफ-22-23-2012-आठ.—यत:, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-7-2011-सात-एस-6, दिनांक 27 फरवरी, 2012 द्वारा शहडोल तथा जबलपुर संभाग की सीमाएं परिवर्तित की है.

अतएव, उक्त अधिसूचना के अनुसरण में एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 68 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-22-42-सात, दिनांक 18 जुलाई, 2008 में आंशिक परिवर्तन करते हुए, राज्य सरकार, डिण्डोरी जिले के लिए आयुक्त, जबलपुर संभाग को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने और उसके कार्य करने हेतु प्राधिकृत करती है.

यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी.

F-22-23-2012-VIII.—Whereas, the State Government by notification No. F-1-7-2011-VII-5-6, dated 27th February, 2012 of the Revenue Department has altered the limits of Shahdol and Jabalpur Divisions under the provisions of sub-section (1) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Reveue Code, 1959 (No. 20 of 1959).

Now, Therefore, in pursuance of the above notification and in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 68 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and in partial modification of this department's notification No. F-22-42-VII, dated 18th July, 2008 the State Government, hereby, authorises the commissioner, Jabalpur Division to exercise the powers and functions as Regional Transport Authority for the district Dindori.

This notification shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव कुमार झा, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.